न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 733/2024
अनवान : –

1. रामकरण पुत्र गिरधारी जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 30/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता स0 309/304 की कुल 12.3940 हैक्ट भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में वादी का नाम मदन पुत्र गिरधारी दर्ज है जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है वादी का सही व वास्तविक नाम रामकरण पुत्र गिरधारी है जो की वादी के समस्त दस्तावेजों में दर्ज है। मदन पुत्र गिरधारी व रामकरण पुत्र गिरधारी एक ही व्यक्ति के नाम है। राजस्व रिकार्ड व वादी के दस्तावेजों में नाम में भिन्नता होने के कारण वादी के खातेदारी हको का हनन हो रहा है इसलिए वादी मुताबिक दस्तावेजात राजस्व रिकार्ड में अपना नाम मदन पुत्र गिरधारी के स्थान पर रामकरण पुत्र गिरधारी दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी का सही नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर देवे तो कुछ दिन तो आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस में अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद भूमि में वादी का नाम मदन पुत्र गिरधारी दर्ज है जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है वादी का सही व वास्तविक नाम रामकरण पुत्र गिरधारी है जो की वादी के समस्त दस्तावेजों में दर्ज है। मदन पुत्र गिरधारी व रामकरण पुत्र गिरधारी एक ही व्यक्ति के नाम है। राजस्व रिकार्ड व वादी के दस्तावेजों में नाम में भिन्नता होने के कारण वादी के खातेदारी हको का हनन हो रहा है इसलिए वादी मुताबिक दस्तावेजात राजस्व रिकार्ड में अपना नाम मदन पुत्र गिरधारी के स्थान पर रामकरण पुत्र गिरधारी दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करने के आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.08 17:30:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता स0 309/304 की कुल 12.3940 हैक्ट भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त वाद भूमि में वादी का नाम मदन पुत्र गिरधारी दर्ज है जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो में वादी का रामकरण पुत्र गिरधारी अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं दस्तावेजों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता स0 309/304 की कुल 12.3940 हैक्ट भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि में वादी के नाम मदन पुत्र गिरधारी के स्थान पर मदन उर्फ रामकरण पुत्र गिरधारी के अंकन की घोषणा की जाती है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच मदन पुत्र गिरधारी के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम मदन पुत्र गिरधारी लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30/10/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.08 17:50:19 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 733 / 2024
अनवान : –

1. रामकरण पुत्र गिरधारी जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

–**वादी**

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादी**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 733 सन 2024 निर्णय दिनांक -30/10/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता स0 309 / 304 की कुल 12.3940 हैक्ट भूमि में से 1 / 12 हिस्सा भूमि में वादी के नाम **मदन पुत्र गिरधारी के स्थान पर मदन उर्फ रामकरण पुत्र गिरधारी** के अंकन की घोषणा की जाती है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच मदन पुत्र गिरधारी के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम मदन पुत्र गिरधारी लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 30/10/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.08 17:50:19 IST
Reason: SelfAttested